

**गैस कनेक्शन के नियमों में किया संशोधन,  
आधार कार्ड पर मिल सकेगा कनेक्शन**

करनाल | गैस कनेक्शन के लिए नियमों में संशोधन करते हुए अब आधार कार्ड पर भी नया कनेक्शन जारी करने की मंजूरी मिल गई है। डीएफएससी अनिल कुमार ने बताया कि आवेदक को एफिडेविट पर लिखकर देना होगा कि उसकी अलग से रसोई है। ज्वाइंट फैमिली की समस्या को समझते हुए गैस एजेंसी संचालकों ने ऑयल कंपनी के सामने बात रखी और सरकार को अवगत कराया। ग्राहकों को परेशानी है कि उनके पास एक राशन कार्ड है। बेटे नौकरी लगने के बाद बच्चों को ले गए हैं, लेकिन एक राशन कार्ड पर एक से ज्यादा कनेक्शन नहीं ले सकते।